बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

अधि०सं०–अ०सां०नि०/स्था०3–01/2018 /पटना, दिनांकः–

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, "बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग नियमावली, 2020" का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ–

(i) यह नियमावली "बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2024" कही जायेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. **"बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग नियमावली, 2020" में नियम–3 का प्रतिस्थापन।–उक्त नियमावली के नियम–3 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा–**

"**3.** (i) यह संवर्ग राज्य संवर्ग होगा जिसका प्रशासनिक नियंत्रण अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग के अधीन होगा।

(ii) इस संवर्ग की संरचना निम्नवत होगी –

क्र०सं०	पदनाम	कोटि	प्रास्थिति
1	अवर सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी	मूल कोटि	अराजपत्रित
2	सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी	प्रथम प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित

(iii) इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के स्वीकृत पदों की संख्या तथा वेतनमान/वेतनस्तर वही होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा। राज्य सरकार समय–समय पर इस संवर्ग के स्वीकृत पदों के अतिरिक्त इस संवर्ग में स्थायी/अस्थायी पदों के सृजन/विलोपन की स्वीकृति दे सकेगी।

(iv) इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी स्वतः इस संवर्ग में शामिल एवं इस नियमावली के अधीन नियुक्त समझे जायेंगे।"

3. "बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग नियमावली, 2020" के नियम–5 का प्रतिस्थापन।–उक्त नियमावली के नियम–5 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा –

5.(i) (क) अधियाचना वर्ष के 1ली अगस्त को अभ्यर्थी की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित उम्र सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए;

(ख) संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/अन्वेषक को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गयी अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जायेगी।

बशर्त्ते कि संविदा पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा चयन एवं रोस्टर की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद स्वीकृत पद के विरूद्ध की गई हो।

परन्तु, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रावधान के आलोक में परीक्षा के आयोजन में हुए विलम्ब की अवधि के लिए भी एक बार अधिकतम उम्र सीमा में छूट अनुमान्य होगी;

(ii) सीधी भर्त्ती के शैक्षणिक अर्हत्ता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक होगा।

(iii) (क) संवर्ग के मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किये गये कार्य की अधिमानता की गणना कर आयोग द्वारा किया जाएगा। संविदा के आधार पर कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/अन्वेषक के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, जो इस संवर्ग में भर्त्ती का अर्हता पूरी करते हैं, को चयन में इस नियम के उप नियम–(ख) के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जायेगी।

(ख) अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जोएगी :–

पूर्णांक

(क) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको की अधिमानता–75 अंक

(ख) संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता तभी मान्य होगी जबकि उसी पद पर संविदा पर नियुक्ति की गई हो। –25 अंक

(प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा)

कुल – 100 अंक

नोट :– परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुणा कर प्राप्त किया जाएगा।

अर्थात् अधिमानता अंक = (परीक्षा में प्राप्त अंक ÷ परीक्षा के कुल अंक) X 75

(ख) संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चिय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अंकित कट–आफ डेट तक की अवधि की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी।

(घ) प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के आयोजन से संबंधित अन्य सभी निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(के० सेंथिल कुमार)
प्रधान सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः–अ०सां०नि० / स्था०3–01 / 2018 / पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इसकी 100 (एक सौ) मुद्रित अतिरिक्त प्रतियाँ, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (योजना एवं विकास विभाग), बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह० /

प्रधान सचिव,

योजना एवं विकास विभाग,

ज्ञापांकः–अ०सां०नि० / स्था०3–01 / 2018 / पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः–माननीय विभागीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव / विकास आयुक्त, बिहार पटना के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना के आप्त सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सचिव, विधान सभा / विधान परिषद् / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी) सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी / कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी पदाधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

प्रधान सचिव,

योजना एवं विकास विभाग

ज्ञापांकः–अ०सां०नि० / स्था०3–01 / 2018 / पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

प्रधान सचिव,

योजना एवं विकास विभाग

ज्ञापांकः–अ०सां०नि० / स्था०3–01 / 2018 1370 / पटना, दिनांक 22/08/24

प्रतिलिपिः–आई०टी०प्रबंधक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव, 19/8/2024

योजना एवं विकास विभाग